तारीख हुक्म	प्रकरण संख्या 05/2024 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अनवीन समीन खां बनाम रिसाद वगैरा	नम्बर व इकदाम जो की तामील
2.5.2025	पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावजों व प्रार्थी/अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र का भली-भांति अवलोकन किये जाने पर समीन खां पुत्र वली मोहम्मद को चक 19 एफटीपी खाता संख्या 139/6 में दर्ज भूमि में मन्जूर शुद्वा रास्ते का अभाव होने के कारण अप्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि मे से बिना कोई प्रतिफल के रास्ता स्वीकृत करने हेतु अपनी सहमति प्रदान की गई है इसलिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा-251 (A) एवं राजस्थान काश्तकारी (सरकारी नियम-1955 के नियम-68 से 70 के अन्तर्गत नया रास्ता कायम करने के संबंध में सहमति के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर चक 19 एफटीपी के प.न. 164/247 के मु.न. 52 के किला नम्बर 1 ता 5 प्रत्येक में 2-2 बिस्वा रास्ता किलो के उतरी दिशा की तरफ रास्ता स्वीकृत किया जाकर तहसीलदार राजस्व संगरिया को निर्देशित किया जाता है कि उक्त मंजूरशुद्वा रास्ता का राजस्व रिकार्ड में बतौर गैर मुमकिन रास्ता के रूप में अंकन किया जावें। तहसीलदार संगरिया को पालनार्थ लिखा जावें। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफतर की जावें। निर्णय आज दिनांक 2.5.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। (जय कौशिक) उपखण्ड अधिकारी संगरिया उपखण्ड अधिकारी संगरिया	

Scanned with OKEN Scanner